रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2015/भाद्र 16, 1937
No. 547] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2015/BHADRA 16, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 679(अ).–केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-III (जिसे यहां इसके पश्चात् उक्त अनुसूची कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(2) उक्त अनुसूची के भाग-I – तुलन पत्र में, -

(i) "साम्या और दायित्व" शीर्षक के अधीन पैरा (4) में, "ख संदेय व्यापार" में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.–

(ii) "(ख) संदेय व्यापार:-

(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया; और

(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया।"।

(iii) "टिप्पण: तुलन पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अधीन पैरा 6 के उप पैरा च के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"च क व्यापार देय

टिप्पण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट किए जाएंगे:-

(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा बकाया असंदत्त मूल राशि और उसपर देय ब्याज (पृथक दर्शाया जाएगा);

(ख) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान, नियत तारीख के पश्चात् आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को न जोड़ते हुए भुगतान करने में विलंब की अवधि (वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के बाद किया गया भुगतान) के लिए बकाया और सम्यक ब्याज की राशि;

(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रत्याभूत और भुगतान हेतु शेष ब्याज की राशि; और

(ङ) पश्चातवर्ती वर्षों में भी बकाया और देय रहने वाले ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन नामंजूरी कटौती योग्य व्यय के प्रयोजन के लिए लघु उद्यम को वास्तव में उपर्युक्त बकाया ब्याज का भुगतान किया गया हो।

स्पष्टीकरण : 'नियत दिन', 'क्रेता', 'उद्यम', 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'आपूर्तिकर्ता' पदों के वही अर्थ होंगे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ख), (घ), (ड.), (ज), (ड) और (ढ़) के अधीन यथापरिभाषित हैं। "।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/19/2013-सीएल.V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th Spetember, 2015

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further alterations in Schedule III (hereinafter referred to as said Schedule) to the said Act, namely:—

2. In the said Schedule, in Part I- Balance Sheet,-

(i) Under the heading "Equity and Liabilities", in para (4), for "(b) Trade payables" the following shall be substituted, namely:—

"(b) Trade Payables:-

(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and

(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.".

(ii) Under the heading "Notes: General Instructions for preparation of Balance Sheet", in para 6, after sub-para F the following shall be inserted, namely:—

"FA. Trade Payables

The following details relating to Micro, Small and Medium Enterprises shall be disclosed in the notes:-

(a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year;

(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;

(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;

(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and

(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

***Explanation*.-** The terms 'appointed day', 'buyer', 'enterprise', 'micro enterprise', 'small enterprise' and 'supplier', shall have the same meaning assigned to those under clauses (b), (d), (e), (h), (m) and (n) respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.".

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/19/2013/CL.V]

AMARDEEP SINGH BHATIA , Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.